# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी,नैनवॉ जिला बून्दी(राज0)

प्रार्थना–पत्र संख्या :–289 / 2023
GCMS NO:- 2023/447

दायर दिनांकः 05.12.2023
पीठासीन अधिकारी :– श्रीमती प्रीति मीणा

रामप्रकाश आ0 हरदेव जाति मीणा नि0 गुजरियाखेडा तहसील नैनवॉ।

– प्रार्थी–

**बनाम**

भूमिधारी श्रीमान तहसीलदार महोदय, नैनवॉ तहसील नैनवॉ

–प्रत्यार्थी

**प्रार्थना पत्रः– अंतर्गत धारा 136 एल.आर एक्ट**

उपस्थिति–

प्रार्थी की ओर से वकील श्री राजेन्द्र नागर।

**निर्णय दिनांक 27.08.2025**

**:–निर्णय–:**

प्रार्थना पत्र के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि ग्राम गुजरियाखेडा तहसील नैनवॉ मे खाता संख्या नया 152 व पुराना 111 के खसरा संख्या 174, 196, 231, 236, 237 व 47 कुल किता 6 कुल रकबा 2.9125 हैक्टयर भूमि स्थित है। उक्त भूमि प्रार्थी की खातेदारी व आधिपत्य की कृषि भूमि है जिसमे प्रार्थी का हिस्सा 2/7 निहित है।

यह कि प्रार्थी का वास्तविक नाम रामप्रकाश आ0 हरदेव जाति मीणा नि0 गुजरियाखेडा है लेकिन संहवन् से टंकन त्रुटी के कारण प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 1 मे वर्णित भूमि मे प्रार्थी का नाम प्रकाश पुत्र हरदेव जाति मीणा दर्ज हो गया जबकि प्रार्थी के अन्य सभी दस्तावेजों जनआधार कार्ड, पेन कार्ड, वोटर पहचान पत्र, आधार कार्ड मे प्रार्थी का नाम रामप्रकाश पुत्र हरदेव जाति मीणा लिखा हुआ है जिससे प्रार्थी को राज्य सरकार व केन्द्र सरकार की योजनाओं के लाभो से भी वंचित होना पड रहा है। ग्राम गुजरियाखेडा मे प्रकाश पुत्र हरदेव जाति मीणा के नाम का कोई अन्य व्यक्ति नही है। प्रार्थी को अधिकार प्राप्त है कि वह प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 1 मे वर्णित भूमियों मे अपना नाम संशोधित करवाकर प्रकाश पुत्र हरदेव के स्थान पर रामप्रकाश पुत्र हरदेव जाति मीणा करवाये।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जर्ये नोटिस तलब किया गया।

अप्रार्थी तहसीलदार नैनवॉ द्वारा पत्रांक/भू0अ0/2025/3006 दिनांक 11.06.2025 से रिपोर्ट पेश की जिसमे बताया कि प्रार्थी का नाम प्रकाश पुत्र हरदेव जाति मीणा विरासत के नामान्तरकरण संख्या 395 एवं 475 दर्ज करते समय संहवन् से दर्ज हो गया तथा पटवारी मौका पर्चा रिपोर्ट एवं दस्तावेजों के मुताबिक प्रकाश पुत्र हरदेव जाति मीणा को रामप्रकाश पुत्र हरदेव नाम से भी जाना जाता है तथा दोनों नाम का एक ही व्यक्ति होना बताया है जिससे प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 1 मे वर्णित भूमि राजस्व रिकॉर्ड मे प्रकाश पुत्र हरदेव के स्थान पर प्रकाश उर्फ रामप्रकाश पुत्र हरदेव किया जाना उचित हाने की अनुशंषा की है।

हमने प्रार्थना पत्र पर वकील प्रार्थी की बहस सुनी। वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 1 मे वर्णित भूमि खाता संख्या खाता संख्या नया 152 व पुराना 111 के खसरा संख्या 174, 196, 231, 236, 237 व 47 मे दर्ज प्रार्थी का नाम प्रकाश पुत्र हरदेव के स्थान पर रामप्रकाश पुत्र हरदेव दर्ज करवाये जाने का निवेदन किया। साथ ही निवेदन किया कि उक्त संबंध मे श्रीमान तहसीलदार साहब नैनवॉ की रिपोर्ट भी माननीय न्यायालय को प्राप्त हो चुकी है अतः निवेदन है कि तहसीलदार साहब नैनवॉ की रिपोर्ट अनुसार प्रार्थी का नाम संशोधन करवाने की कृपा करें।

**राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 136 में वर्णित है कि "भूमि अभिलेख अधिकारी भी समय, किसी लिपिकीय गलती या ऐसी गलतियों को विहित रीति से शुद्ध कर सकेगा या उन्हे शुद्ध करवा सकेगा जिनका अधिकार अभिलेख या रजिस्टर में कर दिया जाना हितबद्ध पक्षकार स्वीकार करें या जिन्हे कोई राजस्व अधिकारी किसी भी रजिस्टर में अपने निरीक्षण के दौरान नोटिस करें। कोई भी ऐसी गलती तब तक शुद्ध नहीं की जायेगी। जब तक कि पक्षकारों को सुनवाई हेतु नोटिस नहीं किया गया हो, ऐसे प्रावधान दिए हुए है।"**

वकील प्रार्थी द्वारा अपनी बहस के दौरान प्रस्तुत तर्को एवं तहसीलदार नैनवॉ की रिपोर्ट एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन कर ध्यानपूर्वक मनन किया गया। प्रकरण में प्रार्थी द्वारा जनआधार कार्ड, पेन कार्ड, वोटर पहचान पत्र, आधार कार्ड आदि मे प्रार्थी का नाम रामप्रकाश ही अंकित है तथा तहसीलदार नैनवॉ द्वारा प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 1 मे वर्णित भूमि खाता संख्या नया 152 व पुराना 111 के खसरा संख्या 174, 196, 231, 236, 237 व 47 मे प्रार्थी का नाम प्रकाश पुत्र हरदेव के स्थान पर प्रकाश उर्फ रामप्रकाश पुत्र हरदेव किये जाने की अभिशंषा की है। प्रकरण में उपरोक्त तथ्यों से प्रार्थना पत्र प्रार्थी राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 136 के अन्तर्गत स्वीकार किये जाने योग्य है।

## —: क्रियात्मक आदेश :—

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाकर ग्राम गजरियाखेडा प.म. सादेडा तहसील नैनवॉ मे स्थित खाता संख्या नया 152 व पुराना 111 के खसरा संख्या 174, 196, 231, 236, 237 व 47 में दर्ज प्रार्थी का नाम ''प्रकाश पुत्र हरदेव'' के स्थान पर ''प्रकाश उर्फ रामप्रकाश पुत्र हरदेव'' शुद्ध दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। निर्णय की पालना हेतु तहसीलदार नैनवां को तहरीर जारी की जावे। पत्रावली फेसल शुमार की जाकर बाद तकमील नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक :— 27.08.2025 को सरे इजलास खुलेआम सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नैनवां